नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-03-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित वादी द्वारा दिनांक 12-03-24 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वकालतनामा को रिकॉर्ड पर लिया गया। वादी भगनदास की तरफ से श्री अब्दुल सत्तार द्वारा पेश वकालतनामा शामिल फाईल किया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से वाद पत्र को आगे चलाना नहीं चाहता है। वादी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र से पहचान की गई तथा साक्ष्य हेतु वादी अधिवक्ता श्री अब्दुल सत्तार के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा पैरवी से इन्कार करते हुए वाद पत्र को नोट प्रेस किया। अतः वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पुनश्चय इतना लिखने पर पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर यह जानकारी में आया वाद सं 51/2017 बउनवान जानकी बाई वगै० vs भगनदास वगै० वाद सं 51/2016 के साथ कन्सोलिडेट किया गया है वादीगण जानकी बाई व भागचन्द की ओर से वाद सं 51/2017 को नोट प्रेस पर खारिज कराने का प्रा०पत्र दिनांक 12-03-24 को पेश किया जो शामिल फाईल हो। वादीगण की ओर से अधिवक्ता अब्दुल सत्तार द्वारा पेश वकालतनामा शामिल फाईल किया। वादी नं 2 व 4 अनुपस्थित रहने से व वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र नोट प्रेस किया जाने से वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	N J [illegible] A [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बन्नी)